भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *53

गुरूवार, 07 दिसंबर, 2023/16 अग्रहायण, 1945 (शक)

रोजगार सृजन के अवसर

***53 डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयीः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन के अवसरों का ब्यौरा और आँकड़े क्या हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने आँकड़ों का पता लगाने के लिए कोई संस्था-आधारित श्रम सर्वेक्षण करवाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

"रोजगार सृजन के अवसर" के संबंध में डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 07-12-2023 के तारांकित प्रश्न संख्या *53 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), वर्ष 2017-18 से, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर आंकड़े एकत्र करता है। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नौकरियों की गुणवत्ता और इसकी स्थिरता का विश्लेषण करने के लिए, पीएलएफएस सर्वेक्षण, रोजगार की स्थिति, काम के घंटे, प्रति घंटा आय, काम के अतिरिक्त घंटे तथा सामाजिक सुरक्षा लाभ, वैतनिक अवकाश, लिखित नौकरी अनुबंध वाले कामगारों की संख्या आदि पर भी आंकड़े एकत्र करता है। इन सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार हैः

वर्ष	**कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) % में**	**बेरोजगारी दर (यूआर) % में**
2020-21	52.6	4.2
2021-22	52.9	4.1
2022-23	56.0	3.2

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में बेरोजगारी दर वर्ष 2020-21 में 4.2% से घटकर वर्ष 2022-23 के दौरान 3.2% हो गई है और अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2020-21 के दौरान 52.6% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 56.0% हो गई है, जो यह दर्शाता है कि देश में रोजगार में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

इसके साथ-साथ, वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर कामगारों का व्यापक उद्योग प्रभाग-वार अनुमानित प्रतिशत वितरण नीचे दिया गया हैः

क्र. सं.	**एनआईसी-2008 के अनुसार व्यापक उद्योग-वार**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	कृषि	46.5	45.5	45.8
2	खनन एवं उत्खनन	0.3	0.3	0.3
3	विनिर्माण	10.9	11.6	11.4
4	बिजली, पानी, आदि।	0.6	0.6	0.5
5	निर्माण	12.1	12.4	13.0

6	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	12.2	12.1	12.1
7	परिवहन, भंडारण एवं संचार	5.4	5.6	5.4
8	अन्य सेवाएं	12.0	11.9	11.4
	योग	**100**	**100**	**100**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) से क्रमबद्ध तिमाहियों में, भारत की गैर-कृषि अर्थव्यवस्था के चयनित नौ क्षेत्रों के संबंध में रोजगार की स्थिति का आकलन किया जाता है। ये चयनित नौ क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तरां, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और वित्तीय सेवाएं हैं। क्यूईएस (जनवरी-मार्च, 2022) से यह जानकारी मिलती है कि अर्थव्यवस्था के इन नौ क्षेत्रों में रोजगार बढ़कर 3.18 करोड़ हो गया, जबकि छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) के अनुसार इन क्षेत्रों में कुल रोजगार 2.37 करोड़ था।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सितंबर, 2017 से अपने मासिक पे-रोल आंकड़ें प्रकाशित कर रहा है जिससे औपचारिक क्षेत्र में रोजगारों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। देश में ईपीएफ अंशधारकों में शुद्ध वृद्धि, वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 (सितम्बर, 2023 तक) नीचे दी गई है:

वर्ष/माह	**शुद्ध पे-रोल वृद्धि (ईपीएफओ)**
2020-21	77,08,375
2021-22	1,22,34,625
2022-23	1,38,51,689
2023-24 **(**सितंबर**,** 2023 तक)	85,21,883

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

ढांचागत और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष, 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में की गई यह पर्याप्त वृद्धि, सरकार के प्रयासों का केंद्र बिन्दु है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के तहत, योजना के आरंभ से लेकर दिनांक 22.11.2023 तक, 60.48 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार, दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत, दिनांक 23.11.2023 तक, 78.08 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को शुरु से आखिर तक सहायता प्रदान करने के लिए, दिनांक 17 सितंबर, 2023 को, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य, अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले विश्वकर्माओं द्वारा पारंपरिक कौशल की गुरु-शिष्य परंपरा या परिवार-आधारित प्रैक्टिस को मजबूत और पोषित करना है। पीएम विश्वकर्मा का मुख्य फोकस कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों तथा सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हों।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के आरंभ से दिनांक 17.11.2023 तक 26.08 लाख करोड़ रुपए की राशि के 44.41 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

सरकार द्वारा, वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, कौशल भारत मिशन के तहत, देश भर में युवाओं के कौशल आधारित प्रशिक्षण के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) पाठ्यक्रमों और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के तहत प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमकेवीवाई के तहत, एसटीटी प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है, जबकि आरपीएल प्लेसमेंट को अनिवार्य नहीं करता है क्योंकि यह उम्मीदवार के मौजूदा कौशल को पहचानता है। दिनांक 04.11.2023 तक, 24.38 लाख उम्मीदवारों को योजना के तहत नियोजित किया गया है।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें, रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****